

No. HQ/PIO/RTI/244/14

Dt: 16.10.2014

Sh. Shakti Singh Chauhan,

"Shakti Kunj", Near Railway Line,
Subhash Nagar, H.No.24/18E,
Beawar Road, Ajmer (Rajasthan)-305001.


Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref: Your 1st appeal dt. 04.10.2014, received on 07.10.2014.

आपकी अपील का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद आपको सूचित किया जाता है कि अजमेर यूनिट के अन्तर्गत मदार से पालनपुर के मध्य 359 किलोमीटर विस्तार में 150 गांवों में भू-अवाप्ति की गई है। 150 गांव 15 तहसीलों के अंतर्गत आते हैं तथा जिनके कुल ग्यारह भू-अवाप्ति/सक्षम अधिकारी द्वारा डी.एफ.सी.सी. की परियोजना हेतु 194 अवार्ड प्रेषित किये गये तथा करीब 14000 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के मुआवजे का समावेश है।

उपरोक्त पैमाने पर भू-अवाप्ति हेतु RAA-2008 की धारा 20 (क) के अन्तर्गत गजट अधिसूचना वर्ष 2008 से 2014 तक विभिन्न समाचार पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित की गई है। तथा इनके गजट नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। यह सब गजट नोटिफिकेशन पृथक्-पृथक् जारी हुये हैं, तथा सेकड़ों पृष्ठों में हैं, जिनकी की गणना अभी नहीं हो पायी है। पुराने रिकार्डों व फाइलों को जांच कर पृष्ठों की सही गणना में काफी समय की आवश्यकता है। अतः नियमानुसार सीपीएम/अजमेर कार्यालय में फाइलों का अवलोकन कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

अतः आपकी अपील का निवारण किया जाता है।


16.10.2014
(Ghansham Bansal)
GM/Admn

Copy to:- CPM/Ajmer

DESPATCH

17/10